सं.12019/03/2016-रा.भा.(शिका.)/विविध-2

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-|| भवन, बी. विंग, चौथा तल

जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 18 मई, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाने के संबंध में |

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों से यह अपेक्षा है कि वे राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/ अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं| शिकायत अनुभाग में प्राप्त होने वाली शिकायतों के विश्लेषण से यह स्थिति सामने आई है कि अधिकांश मामले हिंदी समाचार पत्रों में अंग्रेजी में विज्ञापन दिए जाने से संबंधित हैं|

राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिनांक 22.07.2014 के परिपत्र सं. 12019/35/2013-रा.भा.(शिका.) के अनुसार हिंदी के समाचार पत्रों में हिंदी में ही विज्ञापन दिए जाने चाहिए न कि अंग्रेजी में| परन्तु यह देखने में आया है कि इस अपेक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है और हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं| इस प्रकार राजभाषाई आदेशों की अवहेलना की जा रही है|

राजभाषाई आदेशों के प्रति अधिकारियों/ कर्मचारियों को सुग्राही बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान द्वारा ली जाने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की कार्यसूची में इस बिन्दु को शामिल किया जाए और इस पर चर्चा की जाए एवं दृढ़तापूर्वक अनुपालन के निदेश भी दिए जाएं|

अत: पुन: सलाह दी जाती है कि हिंदी के समाचार पत्रों में हिंदी में ही विज्ञापन दिए जाएं तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों में अंग्रेजी में विज्ञापन दिए जाएं| जब अंग्रेजी समाचार पत्रों में अंग्रेजी में विज्ञापन दिए जाते हैं तो विज्ञापन के अंत में यह अवश्य उल्लेख कर दिया जाए कि "अधिसूचना/ विज्ञापन/ रिक्ति संबंधी परिपत्र" का हिंदी रूपांतर वेबसाइट पर उपलब्ध है| इस हेतु पूर्ण लिंक भी दी जाए|

संघ सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध है कि वे अपने सभी संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/ उपक्रमों आदि को इस संबंध में अपनी तरफ से आवश्यक निदेश शीघ्र जारी करें|

(डॉ. बिपिन बिहारी)

संयुक्त सचिव (रा.भा.)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग